

पक्ष्य अहंकार

बचाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रार्थी उप. है।                      वकील पक्षकारान उप. है/पूर्व आदेशानुसार                      दिनांक 20/11/25 को पेश हो।</p>
	20/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बहस पुनः सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता की मौखिक बहस कामचलन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौखिक बहस/पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उच्च न्यायालय कृषि कार्य करने में दोनों पक्ष एक-दूसरे के बीच व्यवधान ना करें। साथ ही कच्चा पसरा निर्माण ना करें। उच्च न्यायालय को कृषि क्षेत्र की शिथिलता के साथ प्राप्ति का मूल वाद के निस्तारण होतक प्राप्ति अर्थात् निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाते एवं पूर्व सम्पन्न आदेश उद्दिष्ट 01/12/25 मयावत रहेगा। पत्रावली के लाल शुगर क्षेत्र दायित्व सम्पत्तार है।</p>

  
 अध्यायक कलेक्टर  
 जयपुर